तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
16-11-22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष अधिवक्ता उप. अप्रार्थी सं. 1 लगायत 3 की तरफ से जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया उभयपक्ष अधिवक्ता ने सहमति आदेशिका पर हस्ताक्षर कर कथन किया कि विवादित आराजी का उभयपक्ष की उपस्थिति में सीमाज्ञान करवाया जाकर पत्थरगढ़ी करवाई जाती है तो किसी प्रकार की आपत्ति नहीं पत्रावली उभयपक्ष की सहमति आज्ञा निर्णीत की जाती है निर्णय पृथक से आदेशिका पर लिखा जा रहा है पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
	27/प्रा०पत्र/2021
	मो. हुसैन बनाम दीपक कोठारी
	निर्णय
16-11-22	प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट में प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण के खाते स्व कब्जा काश्त आराजी खसरा सं. 2525 रकबा 1.90 हैक्टर वाके ग्राम बड़ारखेड़ा तहसील [illegible] में स्थित है प्रार्थीगण की कृषि भूमि के पूर्व ओर अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 की कृषि भूमि ख.सं. 2525 स्थित है। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 प्रार्थीगण की कृषिभूमि की सीमाओं

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	को मिटाना चाहते है तथा अतिक्रमण करना चाहते है। प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 9-7-2020 को सीमाज्ञान करवाया गया था। अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 प्रार्थीगण की कृषि को दबाने पर अमादा है। तथा पूर्व में भी अप्रार्थीगण द्वारा जमीनी विवाद मे धारा 3 प्रार्थीगण पर लगा दी थी आगे कोई विवाद न हो इसलिए प्रार्थीगण अपने खाते एव कब्जे काश्त की कृषि भूमि की पत्थर गढ़ी करवाना चाहते है। और अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा स. 2525 रकबा 1.90 हैक्टर की पत्थर गढ़ी करवाये जाने के आदेश करमाये जावे।	
	प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिश तलब किया गया अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 ने खण्डनात्मक जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अप्रार्थीगण द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण द्वारा व्यावादित आराजी एक ही खातेदार से क्रय की गई है प्रार्थीगण ने अपनी भूमि में सिचाई हेतु धोरे (सिचाई) हेतु भूमि मे काम ली गई है. अप्रार्थीगण द्वारा कोई अतिक्रमण नही किया गया है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करमाया जावे।	
	उभयपक्ष अधिवक्ता ने बहस अन्त करते हुए कथन किया कि विवादित आराजी ख. स 2525 व ख. स. 2527 की सीमा पर विवाद है तथा पत्थर गढ़ी सीमा चिन्ह निर्धारित करने से पूर्व उभयपक्ष की उपस्थिति मे विवादित आराजी का सीमाज्ञान करवाया जाकर	

जावे सीमाज्ञान पश्चात सीमा चिन्ह चीन्हित किये जावे। उभयपक्ष की सहमति अनुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है.

तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देश दिये जाते है कि विवादित आराजी खसरा सं. 2525 व 2527 वाके ग्राम बडारखेडा तहसील इन्द्रगढ स्थित कृषि भूमि का उभयपक्ष की उपस्थिति मे सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमाओ का निर्धारण करते हुए सीमा ~~चीन्हित~~ चिन्ह अंकित करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 16-11-22 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी